रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 1985/आषाढ़ 10, 1907
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 1985/ASADHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1985

आय-कर

सा. का. नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (10) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अधिकतम रकम को ध्यान में रखते हुए, जो उस समय, उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन छूट प्राप्त है, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 31 मार्च, 1985 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होते हैं या असमर्थ

हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या जिनका नियोजन उक्त तारीख को या उसके पश्चात् समाप्त कर दिया जाता है, उस खण्ड के उपबंधों में उल्लिखित तीनों प्रयोजनों के लिए छत्तीस हजार रुपए की सीमा को बढ़ाकर पचास हजार रुपए तक करती है ।

[सं. 6304 (फा. सं. 133/126/85-टीपीएल)]

एम. एस. नारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1985

INCOME-TAX

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to clause (10) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, having regard to the maximum amount which is for the time being exempt under sub-clause (i) of the said clause, hereby increases the limit of thirty-six thousand rupees to fifty thousand rupees for all the three purposes mentioned in the provisions of that clause in relation to employees who retire or become incapacitated or die on or after the 31st day of March, 1985 or whose employment is terminated on or after the said date.

[No. 6304/F. No. 133/126/85-TPL]

M. S. NARAYANAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985